

क्रमांक:-प.1/विजा/स्था0/2018/ 4110

दिनांक 29/08/2018

:- आदेश :-


श्री रामनिवास मीणा तहसीलदार अकलेरा को ज्ञापन क्रमांक 65 दिनांक 02.01.18 से राजस्थान सिविल सेवा(वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 सीसीए के अन्तर्गत इस आशय का नोटिस जारी किया जाकर निम्न प्रकार आरोपित किया गया था।

आरोप संख्या 1. - यह कि आपको सी0ए.जी. प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 का अनु0 संख्या 4.10.2 की ठोस,पूर्ण एवं तथ्यात्मक पालना प्रस्तुत किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1214-19 दिनांक 01.10.03,1425-32 दि031.12.13,1593-1600 दिनांक 31.1.14,1863-73 दि003.6.14,2318-25 दिनांक 10.9.16,253-57 दि014.2.17,336-40 दि028.2.14,557-62 दि030.3.14 व अ0शा0पत्र क्रमांक 2815-22 दि029.12.14,154-161 दि013.2.15,557-84 दि0 23.4.15,969-75 दि008.7.15,179-186 दि009.2.16,318-322 दि017.3.16,351-55 दि0 12.4.16 व 1186-90 दि003.08.17 तथा कारण बताओ नोटिस 642-46 दि021.6.17 व अंतिम पत्र 1701-06 दि009.11.17 से लिखे जाने के उपरान्त समय पर ठोस ,पूर्ण एवं तथ्यात्मक अनुपालना प्रेषित नहीं करने के कारण उक्त अनु0 जन लेखा समिति वर्ष 2016-17 के 159 वे प्रतिवेदन के रूप में शामिल किया गया । इस प्रकार आपके द्वारा राजकार्य में लापरवाही बरती गई है, जिसके लिए आप को आरोपित किया जाता है।

उक्त आरोपो के क्रम में श्री रामनिवास मीणा तहसीलदार अकलेरा ने लिखित जवाब निम्नानुसार प्रस्तुत किया :-

1-यह कि सीएजी रिपोर्ट वर्ष 2012-13 का अनु0संख्या 4.10.2 बाबत रूपान्तरण प्रभारो की वसूली की पालना रिपोर्ट इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1189 दिनांक 15.9.17 से भिजवाई जा चुकी है।

हमारे द्वारा श्री मीणा के द्वारा प्रस्तुत जवाब इत्यादि का अवलोकन किया गया, श्री रामनिवास मीणा तहसीलदार अकलेरा के प्रकरण में सहानुभूतिपूर्वक विचार कर भविष्य में कार्य विशेष सतर्कता एवं तत्परता से संपादित करने की हिदायत के साथ प्रकरण में कार्यवाही ड्राप की जाती है।


जिला कलक्टर
झालावाड़
दिनांक 29/08.2018

क्रमांक सम0/18/ 4111
प्रतिलिपी निम्न को :-

- 1-उपखण्ड अधिकारी अकलेरा
- 2-तहसीलदार अकलेरा
- 3- श्री रामनिवास मीणा तहसीलदार अकलेरा
- 4-व्यक्तिगत पत्रा0
- 5-रक्षित पत्रावली


जिला कलक्टर
झालावाड़

